छत्तीसगढ उच्च न्यायालय

ई-पे

आदित्य जोशी, मास्टर ट्रेनर, छत्तीसगढ राज्य



ई-कोर्ट डिजिटल पेमेंट

pay.ecourts.gov.in



ePay

eCourts Digital Payment



Court Fee

OJudicial Deposit

OFine

OPenalty

Others

- * URL: https://pay.ecourts.gov.in
- ❖ इसे न्यायालय में जमा किये जाने वाली कई राशियों के आँनलाईन भुगतान हेतु तैयार किया गया है और इसके माध्यम से विभिन्न पेमेंट आँप्शन यथा Debit/Credit Cards, Internet Banking, UPI के द्वारा भुगतान किया जा सकता है।
- निम्न मद में संबंधित राशी का भुगतान संभव है:
 - > कोर्ट फीस
 - 🕨 न्यायालय जमा
 - अर्थदण्ड
 - 🕨 शास्ति


- ऐ ePay के माध्यम से भुगतान के साथ ही चालान भी तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। जिसे अपने प्रकरण के साथ पेश कर कोर्ट-फी भुगतान इत्यादि का प्रमाण पेश किया जा सकता है।
- ePay के माध्यम से भुगतान करने हेतु भुगतानकर्ता के पास किसी भी बैंक की इंटरनेट बैकिंग सेवा का खाता एवं तत्संबंधी सुविधा होनी चाहिये। यथा-खाता, इंटरनेट बैकिंग आईडी एवं पासवर्ड।
- ePay के माध्यम से भुगतान करने हेतु भुगतानकर्ता के पास यदि किसी भी बैंक की इंटरनेट बैकिंग सेवा का खाता एवं तत्संबंधी सुविधा नहीं है। तब उस दशा में बैंक काउण्टर से ePay पोर्टल पर न्यायालय संबंधी राशी का भुगतान किया जा सकता है। वर्तमान में यह सुविधा केवल चुनिंदा बैंकों में ही उपलब्ध है।

सुविधा उपलब्ध है:

- 🕨 प्रत्येक नागरिक के लिये
- > 24x7, हर समय उपलब्ध
- कम विवरण दर्ज कर चालान जमा करने की सुविधा
- 🕨 तत्काल चालान का प्रदाय
- चालान अपने प्रकरण के साथ पेश करना जरूरी
- चालान आपके प्रकरण से संबद्ध कर दी जायेगी ताकि उसका और कोई दूसरा उपयोग न हो


न्यायालय फीस

- न्यायालय फीस अदा करने हेतु दो विकल्प उपलब्ध है:
 - 💠 नये प्रकरण हेतु (जब प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध न हुआ हो)
 - प्राने प्रकरण हेतु (जो पूर्व से ही न्यायालय में लंबित/दर्ज हो, जिसके संबंध में भुगतानकर्ता के पास CNR Number, Case Number, Filling Number इत्यादि उपलब्ध हो)
- भुगतानकर्ता के द्वारा, यदि पूर्व में किसी प्रकरण विशेष के संदर्भ में कोई भुगतान किया जा चुका हो तो उसे View Previous Transaction Option के अंतर्गत देखा जा सकता है।



नये प्रकरण हेतु कोर्ट फीस का भुगतान

- राज्य, जिला एवं कोर्ट इस्टेबलिशमेंट चुने.
- ❖ पक्षकार का नाम, कोर्ट फीस की राशी, रिमार्क एवं मोबाईल नंबर दर्ज करे.
- ❖ "Generate OTP" को दबाये और
 आपके मोबाईल नंदर पर OTP प्राप्त होगी.
- ❖ प्राप्त OTP केवल 2 मिनट के लिये ही वैध होगी। जिसे आप दर्ज कर "Verify" दबाये.



- "Verify" का चुनाव करते ही आप संबंधित राज्य के आँनलाईन भुगतान के पोर्टल पर पहुंचेगें.
- इस पेज पर इंटरनेट बैकिंग हेतु स्व-संबंधित बैंक का चुनाव करना होगा.
- " Proceed for Payment"का चुनाव करे.

Your GRN Number Is MH004886998201819E Note Down Your GRN Number For Futur






- ❖ GNR क्रमांक उपलब्ध होगा.
- ❖ GNR क्रमांक भविष्य के
 लिये सहेज कर सुरक्षित रखे.
- ❖ "OK" पर क्लिक करे.
- OK करते ही संबंधित बैंक के वेब पेज पर रीडायरेक्ट किया जावेगा.
- ❖ जहाँ पर उपलब्ध विकल्प के अनुसार भुगतान करना होगा.



CHALLAN MTR Form Number-6									
GRN MH004955234201819	E BARCODE IIII		III Dat	10/08/2018-13:28	40 Fo	rm ID			
Department District And Sessions Court					Payer Details				
Judicial Stamps			TAX ID (Case No.)						
Type of Payment Court Fees Collected in Stamps IGR			PAN No.(If A	No.(If Applicable)					
Office Name DIST AND SESSIONS COURT AURANGABAD			Full Name		archana				
Location AURANGABAD			1			4			
Year 2018-2019 One Time			Flat/Block No.						
Account Head Details Amount In Rs.			Premises/Building						
0030034801 Court Fees Stamps		1.00	Road/Stree	t					
			Area/Locality			1			
			Town/City/District						
			PIN			4 1	1	0 0	5
			Remarks (F	arty Detail	ils)				
			1						
			1						
			Amount In	One Rup	e Rupees Only				
Total		1.00	Words						
Payment Details BANK OF MAHARASHTRA			FOR USE IN RECEIVING BANK						
Cheque-DD Details			Bank CIN	Ref. No.	023000420180810	58296	003275798		
Cheque/DD No.			Bank Date	RBI Date	10/08/2018-13:30:21 Not Verified with RBI			RBI	
Name of Bank			Bank-Brand	h	BANK OF MAHAR	BANK OF MAHARASHTRA			
Name of Branch			Scroll No. , I	Scroll No. , Date Not Verified with Scroll					
Department ID : NMHAU0120180000453 Mobile No. : 9422009586									


- सफलतापूर्वक
 भुगतान
 के
 पश्चात्
- तत्संबंधी संदेश प्रकट होगा.
- संदेश में भुगतान पावती का प्रिंट लेने
 संबंधी विकल्प भी प्रदर्शित होगा.
- "Print Acknowledgement" पर किलक कर view e-Challan प्रदर्शित होगा, जिसे प्रिंट किया जा सकता है.



लंबित प्रकरण हेतु भुगतान

न्यायालय में पूर्व से लंबित प्रकरण हेतु भी CNR Number के जिरये कोर्ट फीस इत्यादि का भुगतान आँनलाईन किया जा सकता है.


- > 16 अंकों का CNR क्रमांक दर्ज करे और GO दबाये.
- 🕨 पक्षकार का नाम चुने.
- राशी एवं मोबाईल नंबर दर्ज करे और शर्तों को स्वीकार करे.
- रसके पश्चात् OTP प्राप्ति, वेरिफिकेशन, भुगतान पोर्टल पर पहुंचना, GNR क्रमांक उपलब्ध होना, संबंधित बैंक के पोर्टल पर रि-डायरेक्ट होना, भुगतान पश्चात् तत्संबंधी संदेश मिलना और चालान को प्रिंट करना इत्यादि समस्त प्रक्रिया पूर्ववत् के अनुसार ही होगी, जैसे पूर्व में किसी नवीन प्रकरण के संदर्भ में भुगतान के संबंध में बतलाया गया है.



लंबित प्रकरण हेतु भुगतान

न्यायालय में पूर्व से लंबित प्रकरण हेतु पूर्व के अनुसार Case Number/Filing Number के जिरये भी कोर्ट फीस इत्यादि का भुगतान आँनलाईन किया जा सकता है.

- Case Number/Filing Number दर्ज करे और GO दबाये.
- पक्षकार का नाम चुने. राशी एवं मोबाईल नंबर दर्ज करे और शर्तों को स्वीकार करे.
- इसके पश्चात् OTP प्राप्ति, वेरिफिकेशन, भुगतान पोर्टल पर पहुंचना, GNR क्रमांक उपलब्ध होना, संबंधित बैंक के पोर्टल पर रि-डायरेक्ट होना, भुगतान पश्चात् तत्संबंधी संदेश मिलना और चालान को प्रिंट करना इत्यादि समस्त प्रक्रिया पूर्ववत् के अनुसार ही होगी, जैसे पूर्व में किसी नवीन प्रकरण के संदर्भ में भुगतान के संबंध में बतलाया गया है.



View Previous Transactions


- ❖ePay उपयोगकर्ता अपने द्वारा किये गये पूर्व के संव्यवहार को Party Name और Mobile Number दर्ज कर देख सकते है.
- ❖ पूर्व के सभी सफल/असफल संव्यवहार को सूचीबद्ध रूप में देखा जा सकता है. संव्यवहार की सूची में से "View Challan" विकल्प के जिरये चालान को देखा और प्रिंट किया जा सकता है.

अपदि भुगतान के पश्चात् GNR क्रमांक न मिले तो उक्त वर्णित प्रक्रिया के द्वारा चालान को प्रिंट कर संबंधित बैंक से राशी के संबंध में जानकारी ली जा सकती है. सामान्यतः यदि किसी उपयोगकर्ता के बैंक खाते से राशी विकलित हो जाये और ePay वेज साईट पर भुगतान दर्शित न हो तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रणाली के अनुसार 2-3 कार्य दिवस के भीतर स्वयं ही राशी खाता धारक के खाते में वापस आ जाती है.



GNR का CIS में वेरिफिकेशन एवं रद्दकरण

- ePay से भुगतान के पश्चात् प्राप्त होनें वाले चालान को संबंधित पक्षकार या अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण के साथ पेश किया जावेगा.
- संबंधित चालान को न्यायालय के द्वारा जांच कर संबद्ध एवं रहकरण किया जावेगा ताकि उस चालान का दुबारा और कोई उपयोग न हो.



श्नित्

आदित्य जोशी

adityajoshi78@aij.gov.in